रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 34] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 31, 1983/माघ 11, 1904

No. 34] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 31, 1983/MAGHA 11, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1983

सं. 11/83-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 44(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचनाओं को जो नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, विखंडित करती है :—

अनुसूची

1. सं 24-सीमाशुल्क, तारीख 27 जनवरी, 1979.
2. सं. 217-सीमाशुल्क, तारीख 13 नवम्बर, 1979.

[फा. सं. 355/178/81-सीमा-शुल्क]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 1983

No. 11/83-CUSTOMS

G.S.R. 44(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) specified in the Schedule below :—

SCHEDULE

1. No. 24-Customs dated 27-1-1979.
2. No. 217-Customs dated 13-11-1979.

[F. No. 355/178/81-Cus. I]

सं. 12/83-सीमाशुल्क

सा.का. नि. 45(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1982 (1982 का 14) की धारा 44 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा

25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 136-सीमाशुल्क तारीख 11 मई, 1982 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम संख्या 135 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 355/178/81-सीमा-शुल्क-I]

एन. शशीधरन, अवर सचिव

No. 12/83-CUSTOMS

G.S.R. 45(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 44 of the Finance Act, 1982 (14 of 1982), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 136-Customs, dated the 11th May, 1982, namely :—

In the Schedule to the said notification Serial No. 135 and the entires relating thereto shall be omitted

[F. no. 355/178/81-Cus.I]

N. SASIDHARAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983